Order Sheet [Contd.]

Case No. .... of 20.................

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
03.06.2026	अपीलार्थी की ओर से श्री एस. एल. मिश्रा अधिवक्ता। उत्तरवादी अनिर्वाहित । प्रकरण उत्तरवादी की उपस्थिति एवं मूल अभिलेख हेतु नियत है । इसी स्तर पर प्रकरण में अपीलार्थी की ओर से पेश आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर तर्क श्रवण किया गया। अपीलार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 415 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत अपील आवेदन श्री अभिनव कुमार डहरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भिलाई–03, जिला दुर्ग (छ.ग.) के न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–598/2023, पक्षकार छ०ग० राज्य विरूद्ध राजेश कुमार गुप्ता एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2026 में अपीलार्थी/अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता को धारा 507, 34 भा०दं०सं० में दोषी पाते हुए दोषसिद्ध करते हुए 01 वर्ष के साधारण कारावास तथा 500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में 10 दिवस का साधारण कारावास पृथक से भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी /अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता द्वारा यह अपील प्रस्तुत किया गया है।	

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	अपील ज्ञापन के साथ निर्णय की सत्यापित प्रति संलग्न है। अपीलार्थी द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा की जा चुकी है। अपीलार्थी/अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता विचारण के दौरान जमानत पर रहे है तथा निर्णय के बाद उसे विचारण न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ा जाना दर्शित होता है। अपीलार्थी/अभियुक्त को जो सजा दी गयी है उसे देखते हुए अपील के निराकरण पर्यन्त दंडादेश के निष्पादन को स्थगित किया जा सकता है। अतएव अपीलार्थी/अभियुक्त राजेश कुमार गुप्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 430 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आवेदन पत्र **स्वीकार** किया जाता है। यदि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील के अंतिम निराकरण तक अपील न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की शर्त हेतु **10,000/– रूपये** की सक्षम जमानत एवं इतनी ही राशि का व्यक्तिगत मुचलका विचारण न्यायालय की संतुष्टि योग्य निष्पादित करे, तो अपीलार्थी/अभियुक्त को दिया गया दंडादेश अपील के निराकरण पर्यन्त तक के लिए स्थगित किया जाता है। अपीलार्थी द्वारा विधिवत् तीन दिवस के भीतर तलवाना अदा किये जानें पर उत्तरवादी की उपस्थिति हेतु साधारण डाक के माध्यम से नोटिस जारी किया जावे। प्रकरण में मूल रिकार्ड आहूत हो । आदेश की प्रति सूचनार्थ एवं उचित कार्यवाही हेतु विचारण न्यायालय को भेजी जावे।	

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर—#N/12—6/2025—1,00,000.

Order Sheet [Contd.]

६

Case No. .... of 20..................

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	प्रकरण उत्तरवादी की उपस्थिति एवं मूल अभिलेख हेतु दिनांक– 04.07.2026 (पंकज दीक्षित) नवम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग (छ.ग.)	4/7/26

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

[illegible], [illegible]—[illegible]/12—6/2025—1,00,000.